

विशालय निदेशक तहसीरी शिक्षा
आदेश क्रमांक 23/263-99 दिनांक 12

हरियाणा चण्डीगढ़
दिनांक चण्डीगढ़ 6-10-99

सेन्ट थोमस स्कूल बहादुरगढ़ झज्जर को दसवीं स्तर की सम्बन्धिता लेने हेतु
अनायति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

- 1 विद्यालय को वर्ष 1999-2000 के लिये स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।
- 2 विद्यालय के बुकबंदी आगामी वर्ष 2000-2001 में स्थायी मान्यता प्राप्त करने अथवा अनायति प्रमाण पत्र रद्द किया जायेगा।
- 3 हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1999 की धारा 4 की सभी शर्तों को पूरा करेगा तथा इसके तहत जो भी नियम हों विद्यालय उनकी पालना करेगा अथवा अनायति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।
- 4 विद्यालय तत्पक्ष पर जारी की जाने वाली विभाग की हिदायतों की पालना करेगा।

प्रशान्त म्हापात्र
निदेशक तहसीरी शिक्षा हरियाणा

पृष्ठ 1 का क्रमांक तम दिनांक

7.10.99

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना/आवश्यकता के लिये भेजा जाता है:-

- 1 जिना शिक्षा अधिकारी झज्जर को उनके पत्र क्रमांक ता-4/99/3143 दिनांक 28-9-99 के संदर्भ में।
- 2 मुख्याधिकारी सेन्ट थोमस स्कूल बहादुरगढ़ झज्जर।
- 3 तबिय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेन्टर प्रति
बिहार नई दिल्ली 110092

अतिरिक्त विभागाध्यक्ष
सेन्ट थोमस स्कूल बहादुरगढ़ झज्जर


Principal
St. Thomas School
Bahadurgarh
CBSE Aff. No. 3143


Principal
St. Thomas School
Bahadurgarh-124507 (Jhajjar)